

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 07.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143/2024 धारा 363/377 भा0द0वि0 व 5एस/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT में वांछित अभियुक्त आसिफ अली पुत्र छुन्ना अली निवासी भीखदेव केंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 73/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र रतन सिंह निवासी घडिया भदोल चंदीकरा थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त रविन्द्र पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम तिलौंची थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 27 अदद क्वार्टर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0071/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय पुत्र पुतानी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सड़वा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 315 बोर तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ना उर्फ रफीक पुत्र रसीद निवासी ग्राम सैंथा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज एक किलो पांच सौ ग्राम गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0073/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सोविन्द पुत्र किशनलाल निवासी लालजी का पुरवा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 104/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

➤ थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप पुत्र स्व० रामऔतार कहार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भन्देमऊ थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक अदद चाकू रामपुरी नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 105/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति तथा थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया।